

राजस्थान सरकार
श्रम तथा नियोजन विभाग

6104

क्रमांक प01(2)/बेरोजगारी भत्ता योजना/2012-13/ दिनांक: 11/6/2019

आदेश

राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज में समाहित बिन्दु संख्या 10 के उप बिन्दु 1 के अनुसरण में पूर्व से संचालित "अक्षत योजना" के नाम में परिवर्तन करते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु "मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना" के दिशा-निर्देश स्पष्ट किये जाते हैं:-

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

1. नाम :- यह योजना "मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना" कहलाएगी।
2. प्रचार/विस्तार :- यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।
3. प्रारम्भ होने की तिथि :- यह योजना 1 फरवरी, 2019 से लागू हो चुकी है।
4. परिभाषा :-
 - (i) योजना :- "मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना"
 - (ii) पारिवारिक आय :- परिवार की कुल वार्षिक आय में माता-पिता, पति-पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।
 - (iii) बेरोजगार :- योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है, परन्तु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हो।
 - (iv) योग्यताधारी :- राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कालेजों से स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री।
 - (v) बेरोजगारी भत्ता :- पात्र बेरोजगारों को दिया जाने वाला भत्ता।
5. पात्रता :-
 - (i) प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
 - (ii) (क) राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए।
 - (ख) राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर पात्र होगी।
 - (iii) प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो। प्रार्थी के पास स्व-रोजगार भी नहीं हो।
 - (iv) आयु सीमा :- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी परन्तु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।
 - (v) प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाईन पंजीकृत होना आवश्यक है।

(vi) प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(vii) प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत(बरखास्त) नहीं किया गया हो।

(viii) बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/स्व नियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी पहले हो के लिए स्वीकार्य होगा।

(ix) भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरन्तर जारी रहना चाहिए।

(x) यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार हैं तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

(xi) प्रत्येक वर्ष में अधिकतम एक लाख साठ हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता लाभांशित किया जावेगा जो पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक देय होगा। प्रतिवर्ष एक जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा तथा एक लाख साठ हजार से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जावेगी। यदि एक जुलाई को एक लाख साठ हजार से अधिक आवेदक पात्र होते हैं तो उनमें से अधिक आयु के एक लाख साठ हजार युवाओं का भत्ता (पूर्व में प्राप्त कर रहे युवाओं सहित) चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जावेगा। यदि एक जुलाई को एक लाख साठ हजार से कम आवेदक पात्रता रखते हैं तो उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जावेगा व एक लाख साठ हजार में से शेष युवाओं का चयन आगामी एक जनवरी को किया जावेगा।

6. अपात्रता :- इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे-

(i) वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।

(ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।

(iii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(iv) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक हो।

(v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना -2007 या अक्षत कौशल योजना -2009 या अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थी।

(vi) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।

(vii) जिनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।

(viii) जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।

(ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों।

7. बेरोजगारी भत्ता भुगतान :- योजनान्तर्गत पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा:-

(अ) पुरुष प्रार्थी - 3000 रुपये प्रतिमाह।

(ब) महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी- 3500 रुपये प्रतिमाह।

बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने/स्वयं का रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिए ही किया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी बिन्दु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बन्द कर दिया जायेगा।

8. आवेदन प्रक्रिया :-

(i) बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय, जहां वह पंजीकृत है, ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र/दस्तावेज ई-साईन कर अपलोड करने होंगे :-

1. पात्र आशार्थी द्वारा स्वघोषित आवेदन पत्र (Annexure -1)।
2. योजना के पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 5 तथा अपात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 6 के संबंध में प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा।
3. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र।
4. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।
5. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र/ अंकतालिका।
6. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/ डिग्री।
7. प्रार्थी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खोले गये एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की प्रति।
8. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure -I (तहसीलदार/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure -K
9. अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

(ii) प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर बेरोजगार होने का आवेदन पत्र (बेरोजगार होने संबंधी) ई-साईन कर अपलोड करना होगा। साथ ही प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure -I (तहसीलदार/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure -K में अपलोड करना होगा। गलत तथ्यों के आधार पर वार्षिक आय प्रमाणीकरण करना दण्डनीय माना जायेगा।

(iii) प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार का रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त होता है तो वह उसी माह में उपस्थित होकर लिखित अथवा रजिस्टर्ड डाक से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा। सही समय पर सूचना न देकर भत्ता प्राप्त करना दण्डनीय माना जायेगा।

(iv) चयनित/अनुमोदित प्रार्थी को एकल बचत बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खुलवाना अनिवार्य होगा। जिसका पूर्ण ब्यौरा प्रार्थी अपने आवेदन पत्र में अंकित करेगा।

(v) प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ ई-साईन कर अपलोड करना होगा।

(vi) यदि कोई प्रार्थी किसी भी प्रकार के गलत तथ्य/सूचना देता है तो उसके विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी।

(vii) बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से/स्वयं की SSO ID से लॉगइन कर Employment Exchange Management System (EEMS) पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

9. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया तथा बजट आवंटन :-

(i) इस योजना का संचालन एवं मोनिटरिंग संबंधित रोजगार कार्यालय कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से किया जायेगा। इस भत्ते के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा रोजगार विभाग को बजट आवंटन किया जायेगा।

(ii) यदि किसी प्रार्थी को भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी भी प्रकार से अपात्र पाया जायेगा तो भुगतान किये गये भत्ते की वसूली की जायेगी।

(iii) इस योजना की क्रियान्विति के लिए रोजगार सेवा निदेशालय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।


(iv) बेरोजगारी भत्ते की राशि मासिक आधार पर देय होगी।

(v) बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु एक ही बैंक से करार किया जायेगा।

(vi) रोजगार विभाग तथा संबंधित जिला कलक्टर समय समय पर तथ्यों की जांच कर सकेंगे।

इस योजना की स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक 331900 291 दिनांक 30/3/2019 के द्वारा प्राप्त कर ली गई है।


आज्ञा से


(निकिया गोहाएन)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक प01(2)/बेरोजगारी भत्ता योजना/2012-13/6005-⁶²⁰⁹ दिनांक: 11/6/2019

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राज0 जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त,
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशालय के समस्त अनुभागाधिकारी।
10. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर।
11. रोजगार विभाग के समस्त कार्यालयाध्यक्ष, राजस्थान।


11/6/19
(निकिया गोहाएन)
संयुक्त शासन सचिव

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत ऑनलाईन अपलॉड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. पात्र आशार्थी द्वारा स्वघोषित लिखित आवेदन पत्र (Annexure -1)।
2. योजना के पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 5 तथा अपात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 6 के संबंध में प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा।
3. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र।
4. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।
5. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र/अंकतालिका।
6. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/डिग्री।
7. प्रार्थी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खोले गये एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की प्रति।
8. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure -I (तहसीलदार/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure -K
9. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

Annexure-1

The written declaration as given hereunder will be included at the end of the application form for getting Unemployment Allowance:

I ----- Son/
Daughter/ Wife of Shri -----Age(date of birth)---
-----resident of -----
-----District-----Rajasthan, hereby declare that

the information given above and in the enclosed documents is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false/not true, I will have to face the punishment as per the law. Also, all the benefits availed by me shall be summarily withdrawn.

Signature of applicant

Affix recent
photograph of the
applicant with
signature

प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी स्व-घोषणा

मैं पुत्र श्री.....

घोषणा करता हूँ/करती हूँ :-

- (i) वे बेरोजगार इन्जीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इन्जीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।
- (ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।
- (iii) इस प्रकार के बेरोजगार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iv) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक हो।
- (v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में लाभ प्राप्त कर चुके आशार्थी।
- (vi) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।
- (vii) जिनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
- (viii) जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।
- (ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो।
- (x) मेरे परिवार में मेरे सहित अधिकतम 2 पात्र व्यक्तियों ने आदिनांक तक अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त किया हो।

उपरोक्त स्व-घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या (i) से (x) तक मुझ पर लागू नहीं होते तथा मैं योजनानुसार अपात्र नहीं हूँ। यदि उपरोक्त घोषणा पत्र बाद में झूठा साबित होने पर भारतीय दंड संहिता, अपराध दंड संहिता तथा अन्य विधि सम्मत कानून के तहत कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम

आय का घोषणा पत्र

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ से चयन करे)

1. प्रार्थी का नाम*

2. पिता का नाम*

3. निवास स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता :-

(ख) स्थाई पता :-

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें)

4. गाँव/शहर*

तहसील*

जिला*

5. जन्म दिनांक:

जन्म स्थान

उम्र

6. लिंग*

पुरुष

महिला

वैवाहिक स्थिति : विवाहित

अविवाहित

7. धर्म (आवेदक)*:

जाति* :

उप जाति*

8. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है?

हाँ

नहीं

9. क्या आप आयकर दाता हैं*?

हाँ

नहीं

10. मोबाईल नम्बर

11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बर

एवं आयकर विभाग की रिटर्न की

अद्यतन प्रति संलग्न करें।

12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर

एवं वाणिज्यिक कर विभाग की रिटर्न की

अद्यतन प्रति संलग्न करें।

13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	उम्र	सम्बन्ध मुखिया से	आय/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वार्षिक आय (रुपये)

अन्य स्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड).....

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ-पत्र संलग्न है।

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक:/...../.....

स्थान:

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम पद

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री निवासी को भली प्रकार से जानता हूँ इनकी ^{पारिवारिक} वार्षिक आय रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम..... दिनांक स्थान
000010

(ii) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम पद

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री निवासी को भली प्रकार से जानता हूँ इनकी वार्षिक आय रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम..... दिनांक स्थान

नोट - आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाए (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशप्ता करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें। उत्तरदायी व्यक्ति यथा - संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद् सदस्य/ग्राम सचक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेडमास्टर/सम्बन्धित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के चिकित्सक/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता